


अति-आवश्यक



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप-8/वी.सी/2016

जयपुर, दिनांक :- 17/03/2020

वीडियो कॉन्फ्रेंस सूचना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त, (राजस्थान)।

विषय – दिनांक 24.03.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजन के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक समिति कक्ष, उत्तरी-पश्चिमी भवन, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजित की गयी है। जिसमें राज्य स्तरीय समस्त अधिकारी एवं जिला स्तर से समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) में अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेने का कष्ट करेंगे।

वी.सी. में योजनाओं की निम्नानुसार समीक्षा की जावेगी :-

1. प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक –

महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण विकास की योजनाएँ।

2. दोपहर 3:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक –

पंचायती राज योजनाएँ एवं क्रिया कलाप।

भवदीय

  
(हितबल्लभ शर्मा)

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

17/03/2020



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 6 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 7 जिला कलक्टर समस्त।
- 8 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 9 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
- 10 निम्नलिखित योजना प्रभारियों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को भेजकर निवेदन है कि वीडियो कान्फ्रेंस में आपकी योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना कष्ट करें।
  - 1 अतिरिक्त आयुक्त-II, ईजीएस, ग्रावि।
  - 2 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
  - 3 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
  - 4 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव ( प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
  - 5 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
  - 6 संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायती राज।
  - 7 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
  - 8 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
  - 9 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
  - 10 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
  - 11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
  - 12 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस।
  - 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 11 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को भेज कर लेख है कि वी.सी. में उपस्थित अधिकारियों हेतु जल-पान आदि की व्यवस्था करावें।
- 12 एनआईसी (वीसी प्रोग्राम) मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु समिति कक्ष, उत्तरी-पश्चिमी भवन, एसएसओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर मे आवश्यक व्यवस्था करवाने का श्रम करें।

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)  
17/03/2020